कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 445/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.11.2026

थाना– जहानागंज,

पुलिस मुठभेड़ में अन्तर्जनपदीय/अन्तर्राज्यीय गोतस्कर गिरोह के 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अभियुक्त गोली लगने से घायल

◆ थाना जहानागंज पुलिस की मुठभेड़ में शातिर गोतस्कर शोएब उर्फ गेंदा उर्फ पंडित घायल तथा उसका साथी मुस्तफा रजा गिरफ्तार।

◆ अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर, 05 कारतूस, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की चारपहिया गाड़ी, ₹2,150 नकद एवं प्रतिबंधित पशुओं को बांधने में प्रयुक्त रस्सियां बरामद।

◆ गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद इटावा, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, मैनपुरी एवं आजमगढ़ में कुल 12 मुकदमे दर्ज; संगठित गिरोह बनाकर प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी कर बिहार एवं पश्चिम बंगाल में बेचने का करते थे काम।

घटना एवं पुलिस कार्रवाई का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.11.2026 को थाना जहानागंज पुलिस द्वारा क्षेत्र में सघन चेकिंग एवं गश्त की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य चारपहिया वाहन से रेकी करते हुए क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ग्राम मन्दे बागीचा के पास भुजही नहर पर चेकिंग शुरू की गई।

इसी दौरान एक संदिग्ध चारपहिया वाहन आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा करने पर वाहन सवार अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया तथा पुलिस टीम को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई नियंत्रित जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त शोएब उर्फ गेंदा उर्फ पंडित के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी मुस्तफा रजा को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई प्रातः लगभग 03:45 बजे की गई। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. शोएब उर्फ गेंदा उर्फ पंडित पुत्र मोहम्मद तौफीक, निवासी खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर, हाल पता तारापुरी खुशहाल नगर, थाना वीरमपुरी, जनपद मेरठ (घायल)।
2. मुस्तफा रजा पुत्र मोहम्मद सलीम, निवासी नांगलिया अकिल, थाना अजीम नगर, जनपद रामपुर।

अपराध करने का तरीका–

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे संगठित गिरोह बनाकर प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी करते हैं। पहले चारपहिया वाहन से सुनसान स्थानों एवं रास्तों की रेकी करते हैं, इसके बाद प्रतिबंधित पशुओं को ट्रक/पिकअप के माध्यम से हाईवे के किनारे खड़े कंटेनर में लदवाकर उत्तर प्रदेश से बिहार एवं पश्चिम बंगाल तक ले जाकर बेचते हैं। पुलिस से बचने के लिए चारपहिया वाहन पर नंबर प्लेट नहीं लगाते तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए अवैध असलहों का इस्तेमाल करते हैं। अभियुक्तों ने पूर्व में भी पुलिस टीमों पर फायरिंग करने की बात बताई है।

आपराधिक इतिहास–

1. अभियुक्त शोएब उर्फ गेंदा उर्फ पंडित पुत्र मोहम्मद तौफीक (कुल 10 मुकदमे):

1. मु0अ0सं0 57/2019, धारा 174-A भादवि, थाना पछायगांव, जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 207/2025, धारा 318(4), 61(2) बीएनएस, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11(1)(e) पशु क्रूरता अधिनियम, थाना गोसाईंगंज, जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 230/2025, धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/5/25 आयुध अधिनियम, थाना गोसाईंगंज, जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 208/2026, धारा 2(b)(i), 2(b)(xi), 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना गोसाईंगंज, जनपद लखनऊ।

5. मु0अ0सं0 749/2015, धारा 120-B, 302, 34 भादवि, थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर।
6. मु0अ0सं0 783/2018, धारा 224, 225, 307, 332, 353 भादवि, थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर।
7. मु0अ0सं0 207/2020, धारा 307 भादवि, थाना मीरापुर, जनपद मुजफ्फरनगर।
8. मु0अ0सं0 206/2020, धारा 379 भादवि, थाना मीरापुर, जनपद मुजफ्फरनगर।
9. मु0अ0सं0 570/2018, धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना हाटा, जनपद कुशीनगर।
10. मु0अ0सं0 245/2026, धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

2. अभियुक्त मुस्तफा रजा पुत्र मोहम्मद सलीम (कुल 02 मुकदमे):

1. मु0अ0सं0 39/2024, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11/20 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना कुरावली, जनपद मैनपुरी।
2. मु0अ0सं0 245/2026, धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अभियुक्तवार गणना के अनुसार कुल 12 मुकदमे जनपद इटावा, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, मैनपुरी एवं आजमगढ़ में पंजीकृत हैं। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास हत्या, हत्या के प्रयास, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट एवं आयुध अधिनियम सहित विभिन्न गंभीर अपराधों से संबंधित है।

बरामदगी–

1. 02 अवैध देशी तमंचे .315 बोर।
2. 03 खोखा कारतूस एवं 02 जिंदा कारतूस .315 बोर।
3. घटना में प्रयुक्त 01 चारपहिया वाहन (बिना नंबर प्लेट)।
4. ₹2,150 नकद।
5. प्रतिबंधित पशुओं को बांधने/परिवहन में प्रयुक्त 04 प्लास्टिक की रस्सियां।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 245/2026, धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

घटनास्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट द्वारा कर साक्ष्य संकलित किए गए तथा सम्पूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से कराई गई। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र, उ0नि0 गौरव कुमार सिंह, हे0का0 दिनकर कुशवाहा, हे0का0 अनिल कुमार, का0 ऋषभ तिवारी, का0 अमित कुमार, का0 अनुप कुमार एवं का0 सचिन साहू, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस की प्रतिबद्धता– जनपद में गोतस्करी एवं संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

•





